

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 07/26

तारीख दायर 01/1/26

भवानीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. छीतर पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नानालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोपाल पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकर पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 02/02/26

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेड़ा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम उमा जी का खेड़ा पटवार हल्का उमा जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 67 पर अंकित आराजी संख्या 176 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 07/26

प्रेषिति :-

तारीख दायर 01/01/26
क्र. तारीख - 02/02/2026

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या07..... / 2026 पत्थरगढ़ी बाबत।

भवानीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. छीतर पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नानालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोपाल पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकर पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जांकर मौजा ग्राम उमा जी का खेड़ा पटवार हल्का उमा जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 67 पर अंकित आराजी संख्या 176 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 182 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



FORM NO. III

फर्द अहकम





नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राजस्थान
~~भारतीलाय पुत्र पुनीलाय~~ बनाम ~~मागीलाय पुत्र प्रदीलाय~~

किस्म मुकदमा/धारा:- प्रार्थना-पत्र | 111-128

प्रकरण संख्या 7 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p><u>01/01</u> 2026</p>	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक <u>19/01/2026</u> को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>	<p style="text-align: right;"><u>तामील प्राप्त</u></p>
<p><u>19/1/26</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक <u>22/2026</u> को वास्ते इन्तजार तामील पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p>	
<p><u>22/26</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों को तामील प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को उक्त भावना समझ गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में पालागर्ह तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर, पारित हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	<p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>